मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-अप्रैल, 2008 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 13 मार्च, 2008 (फाल्गुन 23, 1929)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, मन्दसौर जिले के सीतामऊ में एक परिवार के तीन सदस्यों की हत्या होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री के.पी. सिंह "कक्काजू" सदस्य, शिवपुरी जिले की राजघाट नहर में पानी न छोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री अंचल सोनकर, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का चौदहवां एवं पन्द्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री धरमू राय, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का सोलहवां एवं सत्रहवां कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अनूप मिश्रा, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2008 (क्रमांक 3 सन् 2008) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री गोपाल भार्गव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री, मध्यप्रदेश काटन कन्ट्रोल (संशोधन) विधेयक, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2008) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

5. वर्ष 2007-2008 के तृतीय अनुपूरक मांगों पर मतदान

2 घन्टे 30 मि.

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे.

" दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 41, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 75, 78 तथा 80 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर बीस सौ सत्तर करोड़, छत्तीस लाख, इकतीस हजार, पांच सौ रुपये की अनुपूरक राशि दी जाए."

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री राघवजी, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2008 (क्रमांक 5 सन् 2008) का पुरःस्थापन *करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे की विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

7. वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की मांगों पर मतदान.........(क्रमशः)

1 घन्टा	(1)	मांग संख्या - 20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी.
30 मि.	(2)	मांग संख्या - 14	पशुपालन.
1 घन्टा 30 मि.	(3)	मांग संख्या - 10	वन
		मांग संख्या - 33	आदिम जाति कल्याण
		मांग संख्या - 41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना.
1 घन्टा	(4)	मांग संख्या - 18	श्रम
		मांग संख्या - 49	अनुसूचित जाति कल्याण
		मांग संख्या - 64	अनुसूचित जाति उप योजना.

.

भोपाल :
दिनांक : 12 मार्च, 2008

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

---

* अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.